राजस्थान आवासन बोर्ड की मैराथन बैठक : 50 से अधिक प्रकरणों का हुआ निस्तारण

स्वरोजगार के लिए 'अपनी दुकान-अपना व्यवसाय' योजना होगी लॉन्च

अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अलग से आवासीय योजना सृजित

उच्च आय वर्ग के 192 बहुमंजिला फ्लैटों का होगा निर्माण

कैसे करें आवेदन और क्या होंगी आवंटन की शर्तें

उन्होंने बताया कि योजना में फ्लैट आवंटन/कब्जे के बाद फ्लैट का रख-रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा। योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद जयपुर, शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे। आवासन मण्डल की योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पति निष्पादन विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे। योजना में विकसित किये जाने वाले क्लब हाउस का रख-रखाव एवं संचालन एआईएस ग्रुप हाऊसिंग को- ऑपरेटिव सोसायटी द्वारा किया जाएगा, परन्तु आवासीय परिसर की सफाई, शेष पृष्ठ 7 पर

जयपुर (समाचार जगत न्यूज)। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि सोमवार को मंडल मुख्यालय के बोर्ड कक्ष में अध्यक्ष श्री भास्कर ए. सावंत की अध्यक्षता में राजस्थान आवासन मंडल के संचालक मंडल की 234 वीं बैठक आयोजित की गई। इस मैराथन बैठक में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए नई आवासीय योजना सृजित करने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 'अपनी दुकान-अपना व्यवसाय' योजना सहित लगभग लगभग 50 प्रकरणों को निस्तारित किया गया। आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान आवासन मंडल जयपुर के प्रताप नगर सेक्टर 17 में अखिल भारतीय सेवाओं (आईएएस, आईपीएस एवं आईएफएस) के राजस्थान संवर्ग के अधिकारियों के लिए 'एआईएस रेजिडेन्सी' आवासीय योजना सृजित की गई है। यह योजना स्ववित्त पोषित योजना होगी। इस योजना में 192 बहुमंजिला फ्लैट बनाए जाएंगे। एक फ्लैट का निर्मित शेष पृष्ठ 7 पर

C M Y K